

भारत में निर्बाध उद्यम को मजबूत बनाना*

रघुराम जी. राजन

मुझे नानी पालखीवाला से मुलाकात करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक उनके जीवन कार्य से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हुआ है और उनका आभार मानता है। 1920 में जन्में श्री पालखीवाला न केवल उच्च क्षमता के विधिवेत्ता थे, बल्कि वे संवैधानिक अधिकारों, मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा आर्थिक स्वतंत्रता के एक अथक चैंपियन थे। नानी पालखीवाला ने केसवानंदा भारती केस लड़ा जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि भारतीय संसद संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकता है। यह बात स्वयं उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में स्थापित करने के लिए काफी था। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। वे आपातकाल में अडिग रहे, जब भारत की प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगा था तब तानाशाही के विरुद्ध उठी आवाज में से एक आवाज उनकी भी थी। और जब उन्होंने पहचाना कि राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्र साथ-साथ चलते हैं तब उन्होंने अपने औपचारिक बजट पश्चात भाषण में देश की आर्थिक नीतियों पर अपने विचारों से हज़ारों को सम्मोहित किया।

श्री पालखीवाला उस समय में भारत में प्रचलित समाजवाद के विरुद्ध एकल आवाज थी। वे यह तर्क करते थे कि यह एक छल है - जो ईमानदार धनवान से बेईमान धनवान को धन-दौलत अंतरित करता है। इसके बदले में वे निर्बाध उद्यम का समर्थन करते थे। यह याद रखना जरूरी है कि वे टीसीए के अध्यक्ष थे जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिभाशाली सितारों में से एक है। कोई अचरज की बात नहीं है कि राजाजी ने एक बार उन्हें 'भारत के लिए स्वयं भगवान का उपहार' कहा था।

उनके जीवन काल के अंतिम पड़ाव में नानी पालखीवाला भारतीय अनुभव पर अप्रसन्न रहे। आईआईटी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक होने से खिन्न, पूर्व में एक और पावन संस्था के कमजोर होने की बात को दर्शाते हुए ऑस्ट्रेलिया में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा 'मैं यह नहीं सोच सकता हूँ कि भारत अपने संपूर्ण 5,000 वर्ष के इतिहास में दुर्दशा के इतने निचले स्तर पर पहुँचा होगा जिस स्तर पर अब पहुँचा है'। लेकिन उस भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा दलदल से निकलने

* मुंबई में 4 फरवरी 2016 को डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13वीं नानी ए. पालखीवाला मेमोरियल लेक्चर हेतु नोट्स

का रास्ता ढूँढ़ा है। मैं आज की मेरी चर्चा में यह दलील पेश करना चाहूँगा कि भारत द्वारा अंततः रास्ता खोजने के बारे में पालखीवाला का आशावाद शायद उनके निराशावाद से अधिक अपेक्षित था। हां, हमारे पास हमारी कमजोरियाँ और हमारी अधिकताएँ हैं लेकिन हमारा लोकतंत्र खुद को सही कर लेता है और जब कभी कुछ संस्थाएँ कमजोर हो जाती हैं तो दूसरे आगे आ जाते हैं। भारत एक गतिशील समाज है, हमेशा परिवर्तनशील, हमेशा पुनर्जीवित। निश्चित ही, भारत में निर्बाध उद्यम के लिए जो संभाव्यताएँ आज हैं वो कदाचित पहले कभी उनके इतिहास में नहीं थी।

निर्बाध उद्यम विकसित होने की परिस्थितियाँ ऐतिहासिक रूप से दो समझी जाती हैं :


1. सुगम प्रविष्टि और निकास सहित सभी को समान अवसर देने वाला कार्य क्षेत्र, और
2. संपत्ति पर अधिकार का संरक्षण।

मैं पहले इन परिस्थितियों पर चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं दो और जोड़ूँगा जिसे मैं निर्बाध उद्यम के राजनैतिक रूप से अर्थक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण समझता हूँ।

3. क्षमताओं तक पहुँच को व्यापक बनाना, और
4. एक बुनियादी सुरक्षा नेट

(क) नव सुगम प्रविष्टि और निकास सहित सभी को समान अवसर देने वाला कार्यक्षेत्र।

- जब कोई भी प्रविष्टि कर सकता है, व्यवसाय स्थापित कर सकता है, और प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो प्रतिस्पर्धा से कुशल परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे अच्छी इकाई की जीत होती है जिससे अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता व्यापक होती है।
- निर्बाध उद्यम और प्रतिस्पर्धा, पक्षपात और सामाजिक पूर्वाग्रह का प्रतिरोध करता है।
 - दलित उद्यमियों
 - प्रत्यक्ष बेनिफिट अंतरण
- सरकार और नियामकों को चाहिए कि वे इस खेल के नियम बनाएं और आचरण लागू करें। पक्षपातपूर्ण सरकार/विनियम अवसर देने वाले कार्यक्षेत्र को विकृत करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए बल्कि असमान प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।



- प्रवेश विनियमन पर मैंने जो कार्य किया : लघु इटैलियन फर्म। लेकिन न्यून प्रवेश, क्यों? मैंने जो कार्य किया राजन, लेवेन और क्लेपर (2006)। इटैलियन फर्मों को स्थिर खर्च पर काबू पाने के लिए बड़े आकार की जरूरत होती है लेकिन वे धीरे-धीरे विकसित होती है। धीमी गति से आर्थिक विकास।
- भारत में
 - लाइसेंस - परमिट राज : उपचार : 1990 का उदारीकरण।
 - 23 नए बैंकों का प्रवेश
 - संसाधन राज : खानों, स्पेक्ट्रम आदि को विशेषाधिकृत पहुँच। उपचार : नीलामी और पारदर्शिता।
 - इंस्पेक्टर राज : उपचार : स्टार्ट अप इंडिया, लालप्रीताशाही, प्रवेश बाधाएं।
 - कानून शुद्धीकरण जारी रखने से उम्मीद बंधती है खास तौर पर जब राज्य विनियमनों को सरलीकृत करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
 - आरबीआई मास्टर निर्देश।
- कतिपय निरंतर अदृढ़ता जो विशेष रूप से नए फर्मों को नुकसान पहुँचाता हो :
 - मूलभूत सुविधाएं प्लस लौजिस्टिक्स : लघु के तुलना में भारत।
 - सड़के, बंदरगाहों, हवाई अड्डे, ऊर्जा, इंटरनेट बाजार स्थल।
 - भूमि : नए की तुलना में भारत।
 - राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा
 - वित्त : नए और अपरीक्षित की तुलना में भारत। प्रौद्योगिकी के चलते परिवर्तन तथा नई संस्थाएं।
 - लघु फर्म और लघु बैंक-प्रमाण : लघु वित्त बैंकों
 - यूनिवर्सल आईडी : सरकार
 - टीआरआईडी
 - स्टार्ट - अप्स - उदार बनाना
- आपदा पर अब भी असमान प्लेयिंग फील्ड।
 - बड़े फर्मों का समाधान करना बहुत मुश्किल : बंधक के रूप में श्रमिक।
 - न्यायालय समाधान के बजाय पुनरुत्थान पर ध्यान केन्द्रित करते हैं

- प्रवर्तक लाभान्वित
- कर्ज वसूली मुश्किल
- लेनदारों को अधिकार प्रदान करने में कानून और सख्त करना
- लघु फर्मों पर और तेजी से कानून लागू करना, कभी-कभी लेनदारों से पक्षपात करते हुए।
- परिचालन-संबंधी तथा तात्कालिक दिवालियापन कोड से प्लेयिंग फील्ड एक समान हो जाएगा।
 - दिवालियेपन की आड़ में समझौता करना
- अत्यधिक बाजार अधिकार और प्रीडेशन संबंधी मामले
 - प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अपना मिजाज दिखाना
 - एवार्ड को बनाए रखने की अपील सुनिश्चित करने की आवश्यकता
- प्रतिस्पर्धा और प्रवेश के मामलों पर अब क्यों अधिक चिंता ?
 - नौकरी एजेंडा : नौकरी समावेशन का सबसे बढ़िया तरीका है।
 - नौकरी सृजन के रूप में बढ़ते लघु फर्म

ख) परिसंपत्ति अधिकारों का संरक्षण

- गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए निजी परिसंपत्ति संरक्षण की आवश्यकता : मैं जो मारता हूँ वही खाता हूँ।
 - भारत में व्यापक रूप से संरक्षित
 - क्या यह कुछ ज्यादा ही संरक्षित है - बुनियादी सुविधाओं के लिए भूमि
- सामान्य और पूर्वानुमेय कर और संपदा शुल्क - सरकार ने प्रदान किया।
 - अनावश्यक कर मांगों को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय
 - कर प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागों का स्वचलन

- पूर्वव्यापी कर-निर्धारण : स्पष्ट सरकारी विवरण 1 तथापि, मूल स्तर में ह्रास और प्रोफिट शिफ्टिंग - विश्वव्यापी मामला जिसे बड़े निगमों द्वारा जवाब देना आवश्यक - कोर्पोरेट की ओर से पारदर्शिता की सामान्तर आवश्यकता : वैश्विक समझौताओं की आवश्यकता।

ग) क्षमताओं के प्रति पहुँच को व्यापक करना

- आम आदमी यदि भाग नहीं ले सकता तो वह निर्बाध उद्यम कोई अहमियत नहीं दे सकता है।
- उत्तरोत्तर, भावी उद्यमों में कर्मचारियों का उपयुक्त शिक्षण और स्वास्थ्य जरूरी है।
- जिस प्रकार कुपोषण किसी व्यक्ति के लिए जीवनभर का अभिशाप होता है उसी प्रकार अपर्याप्त प्रारंभिक शिक्षा भी अभिशाप होती है।
- सामाजिक कार्यक्रमों का प्रभावी प्रतिपादन ताकि सभी में प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता रहे जो बहुत ही जरूरी है।
- पूंजीवाद 21 की आयु में शुरू होता है।

घ) एक बुनियादी सुरक्षा नेट

- किसी एक के उत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद प्रतिस्पर्धा विनाशकारी हो सकती है।
- एक बुनियादी सुरक्षा नेट की आवश्यकता जो फर्मों पर केंद्रित न होकर व्यक्ति विशेष पर केन्द्रित हो:
 - बेरोजगार बीमा, बुनियादी हेल्थकेयर, वृद्धावस्था पेंशन
- सरकार के लिए निषेधात्मक ढंग से महंगा नहीं होना चाहिए।
 - लागत पात्रता तथा बजट देयता प्रोजेक्शन में दर्ज करना
 - बीमा के लिए किफायती प्रीमियम लगाना
 - यह पहचानना कि यह बीमा सुनिश्चित नहीं तो लोकतंत्र समाज में यह अंतर्निहित होगा।
- सुरक्षा नेट लोगों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करेगा जिससे अन्यथा वे दूर भागते थे।

समापन

- भारत ने निर्बाध उद्यम को प्रोत्साहित करने में एक लंबा सफर तय किया है।
- छोटी दुकानों से लेकर बड़े इंटरनेट स्टार्ट-अप तक उद्यमशीलता की भावना जीवित है।
- बड़ी संख्या में स्नातक स्थापित कंसलटन्सी या बैंक जाने के बजाय करोबर शुरू करना चाहते हैं या स्टार्ट-अप के लिए कार्य करना चाहते हैं।
- करोबर करना अधिक प्रतिष्ठित बात होती है जैसे कि अमीर होना।
- लेकिन वातावरण को सुधारने में अभी बहुत काम शेष है ताकि सभी को अवसर प्राप्त हो। विशेष व्यवस्था तलाशने के बजाय करोबर को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि सभी को अच्छा कारोबारी वातावरण प्राप्त हो। इच्छुक कारोबार संस्थाएं बड़ी तादाद में ऐसा कर रही हैं।
- जैसा कि पालखीवाला ने कहा है, भारत ने हमेशा रास्ता खोजा है भले जल्दी नहीं और न ही समान रूप से लेकिन आने वाले समय में जरूर खोजा है।